संख्याः 310080 /E-51438/FCD-IRFC/FFCG/5/2023

प्रेषक,

हिमांशु खुराना,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 ::देहरादूनः: दिनांकः 30 जून, 2025

विषयः– **15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को अनटाईड अनुदान (Untied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में द्वितीय किश्त हेतु अंतरित धनराशि पर देय ब्याज का संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को अंतरण किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 254717/F-51438/FCD-IRFC/FFCG/5/ 2023, दिनांकः 22.11.2024 द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनटाईड अनुदान की द्वितीय किश्त रू0 42.62 करोड़ संबंधित निकायों को अंतरित करने के लिये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त की गई थी। शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन ने पत्रावली सं0– 88017 के माध्यम से शासनादेश दिनांकः 22.11.2024 द्वारा निदेशक, शहरी विकास विभाग के निवर्तन पर रखी गई धनराशि का आहरण कर संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को 01 दिवस के विलम्ब से अंतरित किये जाने के संबंध में ब्याज भुगतान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

2– उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांकः 22.11.2024 द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनटाईड अनुदान की द्वितीय किश्त हेतु अंतरित धनराशि पर देय ब्याज रू0 90027.00 (रू0 नब्बे हजार सत्ताईस मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्न फॉट एवं संलग्न विवरणानुसार (संलग्नक–1) संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित किये जाने हेतु आपके निवर्तन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क.सं.	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनटाईड अनुदान की द्वितीय किश्त पर देय ब्याज का शहरी स्थानीय निकायों को अंतरण (रूपयें में)
1–	नगर निगमें	39278
2–	नगर पालिका परिषदें	36945
3–	नगर पंचायतें	10617
4–	छावनी परिषदें/बोर्ड	3187
	योग	**90027**

3– उपर्युक्त अनुदान की धनराशि समस्त शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अन्तर्गत अंतरित की जानी है:–

(1) वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 266/(वि.आ.निदे.)/ xxvii(1)/ 2022, दिनांकः 02.05.2022 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों एवं विभागीय पत्रावली में प्राप्त अनुमोदन

के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी बोर्डो के बीच अनुदान की धनराशि का पारस्परिक वितरण किया गया है।

(2) निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर संलग्न विवरणानुसार समस्त शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों) एवं छावनी बोर्डो को तत्काल हस्तान्तरित किया जायेगा।

(3) **अनाबद्ध/ अनिर्दिष्ट अनुदान (Untied Grant) का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा वेतन व अन्य स्थापना व्ययों को छोड़कर स्थानीय विशिष्ठ हेतु महसूस की गई आवश्यकताओं पर किया जायेगा।**

(4) अंतरित धनराशि के संबंध में शहरी विकास विभाग द्वारा निर्धारित एनेक्सर–I व II पर (समस्त शहरी स्थानीय निकाय एवं छावनी बोर्ड सहित) संकलित सूचना विभागीय सचिव से हस्ताक्षर कराकर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अंतरित की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योमेंट) नियमावली–2017 (संशोधित) में निहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150) 2019/ 2025, दिनांकः 31 मार्च, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अतंरित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित निकाय के नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी तथा छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांकः 31 अगस्त, 2025 तक निदेशक, शहरी विकास विभाग को प्राप्त हो जाने चाहिए। निकायों द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि का पूर्ण सदुपयोग करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शहरी विकास विभाग द्वार समस्त शहरी स्थानीय निकायों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर, संकलित उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(10) 15वें वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर **"15वॉ वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य"**, निर्माण कार्य का वर्ष एवं योजना की लागत अवश्य इंगित की जायेगी।

(11) अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(12) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 की अनुदान संख्याः 07 के निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगाः–

क्र.सं.	मानक मद का विवरण	ब्याज भुगतान हेतु अंतरित धनराशि (रूपये में)
1–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–01–नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	39278
2–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना –03–नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	36945
3–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–05–नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	10617
4–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–13–केन्द्रीय वित्त आयोग से केन्टोंमेन्ट बोर्ड हेतु प्राप्त अनटाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	3187
योग (रू0 नब्बे हजार सत्ताईस मात्र)		90027

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
HIMANSHU KHURANA
Date: 30-06-2025
13:36:01

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

संख्याः 310080/ **E-51438/FCD-RFC/FFCG/5/2023, तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।
3. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री / मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त संबंधित मुख्य /वरिष्ठ/ उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. संबंधित मुख्य/ वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड़।
11. संबंधित नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी/ मुख्य अधिशासी अधिकारी –नगर निगम/नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत/ छावनी बोर्ड (केन्टोन्मेन्ट बोर्ड), उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

संलग्नक–1

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में अनाबद्ध / अनिर्दिष्ट अनुदान **(Untied Grant)** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय किश्त की धनराशि पद देय ब्याज का अंतरण

(धनराशि रूपयें में)

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	ब्याज की धनराशि का स्थानीय निकायों को अंतरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1–नगर निगमः–				
1-	देहरादून	1	देहरादून	13185
		2	ऋषिकेश	1793
2-	हरिद्वार	3	हरिद्वार	3885
		4	रूड़की	3179
3-	नैनीताल	5	हल्द्वानी	4076
4-	ऊधमसिंह नगर	6	काशीपुर	2867
		7	रूद्रपुर	3193
5-	पौड़ी गढवाल	8	कोटद्वार	2558
		9	श्रीनगर	1210
6-	अल्मोड़ा	10	अल्मोड़ा	1400
7-	पिथौरागढ़	11	पिथौरागढ़	1932
योग (1) नगर निगम				**39278**
2–नगर पालिका परिषद				
2-	बागेश्वर	1	बागेश्वर	1000
3-	चमोली	2	गोपेश्वर	965
		3	जोशीमठ	1098
		4	गौचर	651
		5	कर्णप्रयाग	604
4-	चम्पावत	6	चम्पावत	639
		7	टनकपुर	714
		8	लोहाघाट	347
5-	देहरादून	9	मसूरी	2321
		10	विकासनगर	907
		11	डोईवाला	1747
		12	हरबर्टपुर	499
6-	हरिद्वार	13	मंगलौर	1501
		14	लक्सर	820
		15	शिवालिक नगर	1054

क्र.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	ब्याज की धनराशि का स्थानीय निकायों को अंतरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*
7-	नैनीताल	16	नैनीताल	1693
		17	रामनगर	1703
		18	भवाली	556
		19	कालाढूंगी	325
8-	पौड़ी गढ़वाल	20	दुगड्डा	498
		21	पौड़ी	1269
9-	पिथौरागढ़	22	धारचूला	637
		23	डीडीहाट	637
10-	रूद्रप्रयाग	24	रूद्रप्रयाग	690
11-	टिहरी	25	नरेन्द्रनगर	429
		26	मुनिकीरेती–ढालवाला	1049
		27	टिहरी	1107
		28	चम्बा	438
		29	देवप्रयाग	642
12-	ऊधम सिंह नगर	30	बाजपुर	969
		31	गदरपुर	759
		32	जसपुर	1582
		33	खटीमा	1662
		34	किच्छा	2166
		35	सितारगंज	1027
		36	महुआखेड़ा गंज	491
13-	उत्तरकाशी	37	उत्तरकाशी	1145
		38	बड़कोट	604
योग (2) नगर पालिका परिषदें–				36945
3–नगर पंचायतें–				
1-	अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	224
		2	भिक्यासैंण	199
		3	चौखुटिया	199
2-	बागेश्वर	4	कपकोट	178
3-	चमोली	5	नन्दप्रयाग	258
		6	गैरसैंण	409
		7	पोखरी	295
		8	थराली	209
		9	पीपलकोटी	298
4-	चम्पावत	10	बनबसा	193

क्र.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	ब्याज की धनराशि का स्थानीय निकायों को अंतरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5-	देहरादून	11	सेलाकुई (नव गठित)	530
6-	हरिद्वार	12	झबरेड़ा	425
		13	लण्ढौरा	686
		14	भगवानपुर	493
		15	पीरान कलियर	735
7-	पौड़ी गढ़वाल	16	जौंक (स्वर्गाश्रम)	362
		17	सतपुली	226
9-	रूद्रप्रयाग	18	अगस्तमुनी	372
10-	टिहरी गढ़वाल	19	कीर्तिनगर	292
		20	गजा	187
11-	नैनीताल	21	लालकुँआ	301
		22	भीमताल	680
12-	ऊधमसिंह नगर	23	महुआडाबरा हरिपुरा	317
		24	सुल्तानपुर	388
		25	केलाखेड़ा	425
		26	दिनेशपुर	463
		27	शक्तिगढ़	331
		28	नानकमत्ता	265
13-	उत्तरकाशी	29	पुरोला	421
		30	नौगॉव	256
योग (3) नगर पंचायतः–				10617
4–छावनी बोर्ड :–				
1-	अल्मोड़ा	1	रानीखेत	484
2-	देहरादून	2	चकराता	131
		3	क्लेमेन्टाउन	579
		4	देहरादून	1352
		5	लेण्डौर	91
3-	पौड़ी	6	लैंसडाउन	145
4-	नैनीताल	7	नैनीताल	37
5-	हरिद्वार	8	रूड़की	368
योग (4) छावनी बोर्ड				**3187**
महायोग **(1+2+3+4)**				90027

(रू0 नब्बे हजार सत्ताईस मात्र)

Digitally signed by HIMANSHU KHURANA
Date: 30-06-2025 13:36:33

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25070070039
आवंटन पत्र दिनांक-03-JUL-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	01-नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	39278	0	39278
योग	0	39278	0	39278

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.39,278 (Rupees Thirty Nine Thousand Two Hundred Seventy Eight Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2507:0003
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25070070045
आवंटन पत्र दिनांक-03-JUL-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	03-नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	3

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	36945	0	36945
योग	0	36945	0	36945

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.36,945 (Rupees Thirty Six Thousand Nine Hundred Forty Five Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2507:0008
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25070070046
आवंटन पत्र दिनांक-03-JUL-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	05-नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	5

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	10617	0	10617
योग	0	10617	0	10617

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.10,617 (Rupees Ten Thousand Six Hundred Seventeen Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2507:0009

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
अनुभाग-01

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25070070044
आवंटन पत्र दिनांक-03-JUL-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	13-केन्द्रीय वित्त आयोग से कैंटोमेंट बोर्ड हेतु प्राप्त अनटाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	1	3

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	3187	0	3187
योग	0	3187	0	3187

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.3,187 (Rupees Three Thousand One Hundred Eighty Seven Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2507:0007

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01